



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231465
CG-DL-E-29112021-231465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4529]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2021/अग्रहायण 8, 1943

No. 4529]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2021/AGRAHAYANA 8, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

सं. 45/2015-2020

विषय : कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्रोत से प्राप्त अगर ऑयल और अगरवुड चिप्स और पाउडर की निर्यात नीति में संशोधन और नीतिगत शर्तों को सम्मिलित करने के संबंध में।

का.आ. 4898(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा अगरवुड से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति 2018 की अनुसूची-2 के अध्याय 12 और अध्याय 33 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

अध्याय-12

क्रम संख्या	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
86 ए	12119080	अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) (चिप्स और पाउडर सहित)	मुक्त	प्रतिबंधित	कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्रोत (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम क्षेत्र) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर के निर्यात के लिए वार्षिक कोटा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: अगरवुड चिप्स और पाउडर - 25000 कि.ग्रा. प्रति वर्ष।

					<p>अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) पाउडर और चिप्स के निर्यात की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है:</p> <p>I. कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्रोतों (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस के आवेदनों के साथ वैधानिक स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण देते हुए संबंधित राज्य सरकार जहां से स्टॉक की खरीद या निर्यात किया गया था द्वारा अधिकृत वन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी उद्गम प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। उद्गम प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि जिस बागान से अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) प्राप्त किया गया था वह राज्य सरकार के पास पंजीकृत है।</p> <p>II. स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद आवेदक के पास खरीदे गए और उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति का पीसीसीएफ द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किए गए प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।</p> <p>III. संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त निर्यात आदेश की एक प्रति।</p> <p>IV. वन विभाग द्वारा नामित संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादों [अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस)] की रंगीन तस्वीर।</p> <p>V. फर्म की ओर से एक वचनबद्धता कि अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) के निर्यात के लिए प्रस्तावित वस्तुओं को सीआईटीईएस की अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) की कटाई से संबंधित सभी शर्तों का पालन करते हुए बागान से काटा गया है।</p>
--	--	--	--	--	--

अध्याय—33

क्रम संख्या	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
170 ए	33013010	अगर ऑयल	मुक्त	प्रतिबंधित	<p>कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्रोत से प्राप्त अगर ऑयल के निर्यात के लिए वार्षिक कोटा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:</p> <p>अगर ऑयल – 1500 कि.ग्रा. प्रति वर्ष।</p> <p>अगर ऑयल के निर्यात की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है:</p> <p>I. कृत्रिम रूप से उत्पन्न स्रोतों (वन क्षेत्रों के बाहर कृषित उद्गम) से प्राप्त अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) से निकाले गए अगर ऑयल के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस के आवेदन के साथ वैधानिक स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण देते हुए संबंधित राज्य सरकार जहां से स्टॉक की खरीद या निर्यात किया गया था द्वारा अधिकृत</p>

				<p>वन विभाग के अधिकारी द्वारा जारी उद्गम प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए। उद्गम प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि जिस बागान से अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) प्राप्त किया गया था वह राज्य सरकार के पास पंजीकृत है।</p> <p>II. स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद आवेदक के पास खरीदे गए और उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति का पीसीसीएफ द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किए गए प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए।</p> <p>III. संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त निर्यात आदेश की एक प्रति।</p> <p>IV. वन विभाग द्वारा नामित संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादों [अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस)] की रंगीन तस्वीर।</p> <p>V. फर्म की ओर से एक वचनबद्धता कि अगर ऑयल के निर्यात के लिए प्रस्तावित वस्तुओं को सीआईटीईएस की अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) की कटाई से संबंधित सभी शर्तों का पालन करते हुए बागान से काटा गया है।</p>
--	--	--	--	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

- अगर ऑयल और अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से मुक्त से संशोधित कर प्रतिबंधित किया गया है।
- अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर के लिए 25000 किलोग्राम प्रति वर्ष का निर्यात कोटा और अगर आयल के लिए 1500 किलोग्राम प्रति वर्ष का निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है।
- अगरवुड (एक्विलेरिया मैलाकेंसिस) चिप्स और पाउडर और अगर ऑयल के निर्यात से संबंधित नीतिगत शर्त भी अधिसूचित की गई है।

[फा. सं. 01/91/180/60/एम-21/ईसी/ई-26475]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2021

No. 45/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of Agar Oil and Agarwood Chips and Powder obtained from artificially propagated source and insertion of policy conditions—regarding

S.O. 4898(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the Chapter 12 and Chapter 33 of Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 related to Agarwood:

Chapter – 12

S. No	ITC HS Codes	Description	Existing Policy	Revised Policy	Policy Condition
86A	12119080	AGARWOOD (Aquilaria Malaccensis) (INCLUDING CHIPS AND Powder)	Free	Restricted	<p>The annual quota for export of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) Chips and Powder obtained from artificially propagated source (cultivated origin outside forest areas) has been fixed as under:</p> <p>Agarwood Chips and Powder – 25000 Kg per annum.</p> <p>The export of Agarwood (Aquilaria Malaccensis) powder and Chips is permitted subject to following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Applications for an export license for the export of agarwood (Aquilaria Malaccensis) obtained from artificially propagated sources (cultivated origin outside forest areas) should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by an Officer of the Forest Department, authorized by concerned State Government from where stocks were procured/ exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured. The certificate of origin should mention that the plantation from which agarwood (Aquilaria Malaccensis) was obtained is registered with the State Government. II. A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF, should also accompany the application for an export license. III. A copy of the export order received by the concerned firm.

					<p>IV. Coloured photograph of products duly certified by the concerned officer designated by the Forest Department.</p> <p>V. An undertaking from the firm that items of agarwood (Aquilaria Malaccensis) proposed to be exported has been harvested from plantation following all conditions of CITES for harvesting of agarwood (Aquilaria Malaccensis).</p>
--	--	--	--	--	--

Chapter – 33

S. No	ITC HS Codes	Description	Existing Policy	Revised Policy	Policy Condition
170A	33013010	Agar Oil	Free	Restricted	<p>The annual quota for export of Agar Oil obtained from artificially propagated source has been fixed as under:</p> <p>Agar Oil – 1500 Kg per annum.</p> <p>The export of Agar Oil is permitted subject to following conditions:</p> <p>I. Applications for an export license for the export of agaroil extracted from agarwood (Aquilaria Malaccensis) obtained from artificially propagated sources (cultivated origin outside forest areas) should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by an Officer of the Forest Department, authorized by concerned State Government from where stocks were procured/exported, giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured. The certificate of origin should mention that the plantation from which agarwood (Aquilaria Malaccensis) was obtained is registered with the State Government.</p> <p>II. A certificate of the current position of stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF, should also accompany the application for an export license</p>

					<p>III. A copy of the export order received by the concerned firm.</p> <p>IV. Coloured photograph of products (agarwood) (<i>Aquilaria Malaccensis</i>) duly certified by the concerned officer designated by the Forest Department.</p> <p>V. An undertaking from the firm that items of agaroil proposed to be exported has been harvested from plantation following all conditions of CITES for harvesting of agarwood (<i>Aquilaria Malaccensis</i>).</p>
--	--	--	--	--	---

2. Effect of this Notification:

- Export policy of Agar Oil and Agarwood (*Aquilaria Malaccensis*) Chips and Powder has been amended from Free to Restricted with immediate effect.
- Export Quota of 25000 Kg per annum for Agarwood (*Aquilaria Malaccensis*) Chips and Powder and Export Quota of 1500 Kg per annum for Agar Oil has been notified.
- The policy condition regarding export of Agarwood (*Aquilaria Malaccensis*) Chips and Powder and Agar Oil has also been notified.

[F. No. 01/91/180/60/AM21/EC /E-26475]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.